

(प्रपत्र-47)

परियोजना का नाम - मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर-काण्डोई-मदर्सू मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.610 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(लम्बाई- 4.00 किमी0)

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर-काण्डोई-मदर्सू सड़क मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.5170 है0 नाप भूमि की आवश्यकता है, जिसका अर्जन किया जाना है। ग्राम सभा द्वारा निर्माण हेतु नाप भूमि देने के लिये सहमत है। अतः मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली नाप भूमि 1.5170 है0 वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा तथा भूमि हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग के नाम कर अर्जन कर लिया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून

सहायक अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून

अधिशाली अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून



(प्रपत्र-48)

परियोजना का नाम - मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर-काण्डोई-मदर्सू मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.610 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(लम्बाई- 4.00 किमी0)

परियोजना हेतु नाप भूमि उपयोग किये जाने का प्रमाण पत्र।

उपरोक्त प्रयोजन हेतु समरेखण में पडने वाली नाप भूमि को विभाग द्वारा ग्रामीणों के साथ आपसी सहमति के आधार पर लिया जाता है। जिस हेतु सभी ग्रामवासियों के साथ बैठक कर अनापत्ति प्रमाण भी लिया जाता है। भूमि के एवज में भूमिधरों का मुअवजा दिया जाता है तथा आपसी समझौते के आधार भूमि अधिग्रहण की जाती है। अगर किसी भूमिधर के साथ आपसी सहमति नहीं बन पाती है तो धारा 4 एवं 6 कार्यवाही कर भूमि अधिग्रहित की जाती है, यह एक सामान्यतः प्रक्रिया है।

कचि0 अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून




सहायक अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून


अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून